संख्या-640/2017/1222/22-2-2017-17(109)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 11 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मजीद पुत्र श्री अब्दुल अजीज, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-16050-185/प्रोबेशन-3(एम 02.05.2017) दिनांक-18.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 18.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी मजीद पुत्र श्री अब्दुल अजीज, ग्राम-सरैया, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 19.06.1999 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कमाल अहमद उर्फ गुड्डू की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-453/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 षष्टम् अपर जिला न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 25.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.03.2017 तक 17 वर्ष 09 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 11 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर पाया गया कि बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं चार सह अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। अत: समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मजीद (बन्दी संख्या-36460) पुत्र श्री अब्दुल अजीज, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-640/2017/1222(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-640/2017/1222@22-2-2017-17(109)/2008
दिनांक 11 अगस्त, 2017 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध मजीद (बन्दी संख्या-36460) पुत्र श्री अब्दुल अजीज, ग्राम-सरैया, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 19.06.1999 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कमाल अहमद उर्फ गुड्डू की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-453/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 षष्टम् अपर जिला न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 25.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2008 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.03.2017 तक 17 वर्ष 09 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 11 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर पाया गया कि बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं चार सह अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। अतः समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।